रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 176] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 3, 1972/श्रावण 12, 1894
No. 176] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 3, 1972/SRAVANA 12, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 3rd August 1972

SUBJECT.—*Import Policy for the year April,* 1972—*March* 1973.

No. 114-ITC (PN)/72.—Attention of importers is invited to import policy as contained in the Import Trade Control Policy (Red Book—Vol. I) for the period April, 1972—March 1973.

2. The following amendments shall be made at appropriate places in the Import Trade Control Policy (Red Book—Vol. I) for the period April, 1972—March 1973 :—

Page No. of the Red Book (Vol-I)	Reference	Details of amendments
27	Section II, S. No. 50/I, Column 4.	*For* the existing remark, 'A. U. on restricted basiss'. *Read* A. U.
30	Section II, S. No. 17(k)/II, Column 4, remark (3) inserted under Public Notice No. 91—ITC (PN)/72 dated 22-6-72.	The import of aluminium strips in coils or cut lengths, painted or unpainted containing less than 99% aluminium suitable for manufatcure of or use as venetial blinds/louvres will be allowed to actual users to the extent of 10% of the face value of the licence.

Page No. of the Red Book (Vol.1)	Reference	Datlals of amendments
45	Section II, S. No. 117/IV, Column 3.	The existing entries may be substituted by the following:— "(1) Educational—E. I. films. (2) Feature films. Import will be canalised through the public sector agency. Please see Section III of this Book."
54	Section II, S. No. 65 (1-4) (v)(a) & (b) /V, Column 4, remark (i)	The description of item No. 3 may be deemed to have been amended to read as under :— "3. Hermatic sealed compressors— (1) below 1/10 HP, (2) 1/4 HP and (3) 1/2 to 3/4 HP, suitable for application below 0 degree C. in consultation with the D.G.T.D."
65	Section II, S. No. 101-A/V, Column 4.	The existing remark may be deemed to have been substituted by the following :— "Requirements of actual usetrs for cellulose acetate butyrate for manufacture of fountain pens will be met on restricted basis by imports through public sector agency. Please see Soction III this Book." (Release orders for this item to actual users will be issued to the extent of 25% of the face value of the licence).
65	Section II, S. No. 101—C/V.	This S. No. and the entries relating thereto may be deemed to have been deleted.
66	Section II, S. No. 101—D/V, Column 4.	The existing remark (1) may be deemed to have been susbstituted by the following :— "(1) Requirements of atcual users for cellulose nitrate sheets for manufacture of spectacle frames will be met on restricted basis by imports through public sector agency. Please see Section III of this Book. Import of cellulose nitratae sheets for other end-uses will not be permitted." (Release orders for this item to actual users for manufacture of spectacle frames will be issued to the extent of 50% of the face value of the licence.)

Page No. of Red Book. (Vol. I)	Reference	Details of amendments
67	Section II, S. No. 114/V, Column 4.	The existing remark may be deemed to have been substituted by the following :— "A. U. for import of pyrotechnic aluminium powder of explosive grade for manufacture of industrial explosives only."
69	Section II, S. No. 122(xxv)/V, Column 4, Remark (i)	The existing remark may be deemed to have been substitued by the following :— "(i) Requirement of actual user for the following items will be met by imports through the public sector agency :— (a) Nylon moulding powder (Polyamide). (b) Polypropylene (Import of this item for manufacture of combs will not be permitted). (c) ABS moulding powder. Please see Section III of this book."
74	Section III, Part IV.	The following entries may be deemed to have been inserted under the respective columns at the appropriate place :—

1.	2.	3.	4.
117/IV	Cinematograph films, exposed (feature films)	S.T.C.	..

Page No. of Red Book. (Vol. I)	Reference	Details of amendments
76	Section III, S. No. 101-A/V, Column 2.	*For* the existing description, *Read* "Cellulose acetate butyrate".
85	Section IV, S. No. 117/IV, Column 4.	The existing remark (i) may be substituted by the following :— "(i) Import of cinematograph films, exposed (feature films) will be allowed through the public sector agency. Please see Section III of this Book.
87	Section IV, S. No. 303/IV, Comlum 4.	In remark (i), the existing condition(a) may be deemed to have been substituted by the following :— "(a) Atleast 10% of the face value of the quota licence may be utilised for the import of the following items :— (i) Processed plates (other than ordinary dry plates). (ii) Films required by printing industry."

Page No. of the Red Book (Vol. I)	Reference	Details of amendments
196	Section V, Appendix 28 Paragraph 4, of canalised items, Item No. (13) Red phosphorous.	The following remark may be deemed to have been inserted against this item :— "Requirements of actual users foi this item will be met on a restricted basis". (Release orders atcual users for this item will be issued to the extent of 25% of the face value of the licence.)
198	Section V, Appendix 28, List II.	The following item may be deemed to have been inserted at the appropriate place:— "Sodium Tripolyphosphate." (Import of this item will be allowed to actual users to the extent of 10% of the face value of the licence.)
200	Section V, Appendix 28, List III, Item No. 184, Sodium Tripoly—phosphate.	This item may be deemed to have been deleted.

K. T. SATARAWALA
Chief Controller of Imports & Exports

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 1972

विषय.—अप्रल, 1972–मार्च, 1973 वर्ष के लिए आयात नीति

संख्या 114–आई० टी० सी० (पी० एन०)/72.—आयातकों का ध्यान अप्रेल, 1972–मार्च, 1973 के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेड बुक वा० I) में यथा निहित आयात नीति की ओर आकृष्ट किया जाता है।

2. निम्नलिखित संशोधन अप्रैल, 1972–मांर्च, 1973 के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेड बुक वा० 1) में उपयुक्त स्थानों पर किए जाएंगे :—

रेड बुक की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधनों के ब्यौरे
1	2	3
27	खंड 2, भम सं० 50/1, कालम 4	वर्तमान तिप्पणी "प्रतिबंधिता के आधार पर वास्तविक उपयोक्ता" के लिए "वास्तविक उपयोक्ता" पढ़ें।

1	2	3
30	सार्वजनिक सूचना सं० 91 म्राई०टी०सी० (पीएन) 72, दिनांक 22–6–72 में निहित खंड 2, क्रम सं० 17 (सी)/2, कालम 4 टिप्पणी (3)	गुच्छे में या कटी हुई लम्बाई में, पेंट किया हुम्रा या बिना पेंट किया हुम्रा एल्युमीनियम स्ट्रिप्स जिसमें 99% से कम एल्युमीनियम शामिल है, वेनिटियन ब्लाइंडस/लोवरेस की स्वीकृति वास्तविक उपयोक्ताम्रों को लाइसेंस के म्रंकित मूल्य के 10% की सीमा तक दी जाएगी।
45	खंड 2, क्रम सं० 117/4 कालम 3	वर्तमान प्रविष्टियों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाए :— "(1) शिक्षाप्रद– ई म्राई फिल्म (2) फिचर फिल्म म्रायात सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसी के माध्यम से सरणीबद्ध किया जाएगा कृपया इस नीति पुस्तक का खंड 3 देखिए।"
54	खंड 2, क्रम सं० 65(1–4) (5) (ए) तथा (बी)/5, कालम 4, टिप्पणी (1)	मद सं० 3 के ब्यौरे नीचे के म्रनुसार पढ़ने के लिए संशोधित किया गया समझा जाए :— "3. हरमेटिक सील्ड कम्प्रेसर्स—. (1) 1/10 एच पी से नीचे (2) 1/4 एच पी म्रौर (3) 1/2 से 3/4 एच पी तक, डी जी टी डी के परामर्श से जीरो डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे म्रावेदन के लिए उपयुक्त।"
65	खंड 2, क्रम सं० 101–ए/5, कालम 4	वर्तमान टिप्पणी को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए :— "कलमों के निर्माण के लिए सेल्यूलोज एसिटेट ब्यूटीरेट के लिए वास्तविक उपयोक्ताम्रों की जरुरतों की पूर्ति सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसी के माध्यम से किए गए म्रायात द्वारा प्रतिबंधिता के म्राधार पर की जाएगी।" (इस मद के लिए वास्तविक उपयोक्ताम्रों को रिहाई म्रादेश लाइसेंस के म्रंकित मूल्य के 25% की सीमा तक के लिए जारी किया जाएगा)।
65	खंड 2, क्रम सं० 101-सी/5	इस क्रम सं० को म्रौर इससे संबंधित प्रविष्टियों को हटाया गया समझा जाए।

1	2	3
66	खंड 2, क्रम सं० 101—बी /5, कालम 4	वर्तमान टिप्पणी (1) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए :— "(1) चश्मे के फ्रेमों के निर्माण के लिए सैल्यूलोज नाइट्रेट शीट्स के लिए वास्तविक उपयोक्ताओं की जरुरतों की पूर्ति सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसी के माध्यम से किये गए आयात द्वारा प्रतिबंधिता के आधार पर की जाएगीं। कृपया इस पुस्तक का खंड 3 देखिये। अन्य अंतिम उत्पादों के लिए सेल्यूलोज नाइट्रेट शीट्स के आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी।" (चश्मे के फ्रेमों के निर्माण के लिए वास्तविक उपयोक्ताओं को इस मद के लिए रिहाई आदेश लाइसेंस के अंकित मूल्य के 50% की सीमा तक के लिए जारी किया जाएगा।)
67	खंड 2, क्रम सं० 114/5 कालम 4	वर्तमान टिप्पणी को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए :— "केवल औद्योगिक विस्फोटक के उत्पादन के लिए विस्फोटक वर्ग के पायरोटेकनीक एल्यूमीनियम पाउडर के आयात के लिए वास्तविक उपयोक्ता।"
69	खंड 2, क्रम सं० 122(25) /5, कालम 4 टिप्पणी (10)	वर्तमान टिप्पणी को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए:— "(1) निम्नलिखित मदों के लिए वास्तविक उपयोक्ताओं की जरुरतों की पूर्ती सार्वजनिक क्षेत्र की एजसी के माध्यम में आयात की जाएगी:— (ए) नाइलोन मोल्डिंग पाउडर (पोलिएमाइड) (बी) पोलिप्रोपाइलिन (कंघी के निर्माण के लिए इस मद के आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी) (सी) ए बी एस मोल्डिग पाउडर। कृपया इस पुस्तक का खंड 3 देखिए।"

1	2	3
74	खंड 3 भाग—4	निम्नलिखित प्रविष्टियों को उपयुक्त स्थल पर तत्संबंधि कालमों के अन्तर्गत शामिल किया गया समझा जाए :— 1 | 2 | 3 | 4 117/4 | सिनेमाटोग्राफ फिल्म्स, प्रदर्शित (फीचर फिल्म) | राज्य व्यापार निगम । | —
76	खंड 3 क्रम सं० 101-ए/5, कालम—2	वर्तमान विवरण के लिए "सेल्यूलोज एसिटेट ब्यूटीरेट" पढ़ें।
85	खंड-4 क्रम सं० 117/4, कालम—4	वर्तमान टिप्पणी (1) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए :— "(1) सिनोमोटोग्राफ फिल्मस प्रदर्शित (फीचर फिल्म) के आयात की स्वीकृति सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसी के माध्यम से दी जाएगी। कृपया इस पुस्तक का खंड 3 देखिये।"
87	खंड 4 क्रम सं० 303/4, कालम—4	टिप्पणी (1) में वर्तमान शर्त (ए) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए :— (ए) कोटा लाइसेंस के अंकित मूल्य का कम से कम 10% का निम्नलिखित मदों के आयात के लिए उपयोग किया जाए :— (1) संसापित प्लेट (साधारण सूखी प्लेटों से भिन्न)। (2) प्रिंटिंग उद्योगों द्वारा मांग की गई फिल्में।
196	खंड-5 परिशिष्ट-28 कंडिका 4 सरणीबद्ध मदों की सूची, मद सं० (13) रैड फासफोरस	निम्नलिखित टिप्पणी को इस मद के सामने शामिल किया गया समझा जाए :— इस मद के लिए वास्तविक उपयोक्ताओं की जरुरतों की पूर्ति प्रतिबंधिता के आधार पर की जाएगी।" (इस मद के लिए वास्तविक उपयोक्ताओं को रिहाई आदेश लाइसेंस के अंकित मूल्य के 25% की सीमा तक के लिए जारी किये जायेंगे)।

1	2	3
198	खंड 5 परिशिष्ट—28 सूची-2	निम्नलिखित मद को उचित स्थान पर शामिल किया गया समझा जाए :— "सोडियम ट्राइपोलिफास्फेट।" (इस मद के आयात की स्वीकृति वास्तविक उपयोक्ताओं को लाइसेंस के अंकित मूल्य के 10% की सीमा तक के लिए दी जाएगी)।
200	खंड 5, परिशिष्ट 28 सूची 3 मद सं० 184 सोडियम ट्राइपोलिफास्फेट।	इस मद को हटाया गया समझा जाए।

एम० एम० सेन,

मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972